प्रेस विज्ञप्ति

सोशल मीडिया सहारनपुर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये रात्रि में गाडी खराब होने की वजह से रास्ते में फंसे परिवार को पुलिस सहायता उपलब्ध कराते हुये गाडी ठीक करवाकर सकुशल गंतव्य हेतु कराया रवाना:—

अवगत कराना है कि दिनांक 14.07.2021 की रात्रि करीब 11:00 बजे श्री अतुल भारद्वाज पुत्र विजय कुमार भारद्वाज मोबाइल नम्बर— 9888746002, निवासी लुधियाना पंजाब जो अपने परिवार के साथ सूरतगढ जिला गंगानगर राजस्थान से अपने दादा जी की अस्थियां लेकर हरिद्वार विसर्जन करने जा रहे थे रास्ते में सहारनपुर, चमारीखेडा टोल प्लाजा के पास उनकी गाडी खराब हो गई जिनके द्वारा टविट्र पर सहायता मांगी गई थी। सोशल मीडिया सेल सहारनपुर द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये थाना फतेहपुर पुलिस को सूचित किया गया। थाना फतेहपुर पर नियुक्त वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा मय टीम मौके पर पंहुचकर गाडी मकैनिक को बुलाकर गाडी को ठीक कराया गया तथा उनको सकुशल गाडी में बैठाकर उनके गंतव्य स्थान के लिये रवाना किया गया। उनके द्वारा सहारनपुर पुलिस की भूरि भूरि प्रशंसा करतें हुये धन्यवाद किया गया।



प्रैस नोट

आज दिनांक 15/07/2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के आदेशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना को0देहात जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे अपराध की रोकथाम हेतू टीम उ श्री 0नि0विरेन्द्र राणा मय का 0793 विषेश कुमार व का0 1759 सावन कुमार थाना को0 देहात गठित की गयी। गठित टीम द्वारा अभि0 राजू उर्फ रियाज अहमद पुत्र अब्दुल हमीद नि0 रमजानपुरा थाना को0 देहात स0पुर को 520 ग्राम गान्झा के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 321/21 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त के अभि0 राजू उर्फ रियाज अहमद पुत्र अब्दुल हमीद नि0 रमजानपुरा थाना को0 देहात स0पुर को मुखबिर की सूचना पर मढ तिराहे से मय 520 ग्राम गान्जा के साथ दिनांक 15/07/2021 को समय करीब 10.35 बजे पकड़ लिया गया।

बरामदगी का विवरण निम्नवत हैं -:

1- 520 ग्राम गान्जा

अभि ()राजू उर्फ रियाज अहमद पुत्र अब्दुल हमीद नि() उपरोक्त का आपराधिक इतिहास निम्नवत हैं।

- (1)मु०अ०सं० ३३७/२०१५ धारा १३ जी०एक्ट सहा
- (२)मु०अ०सं० २००/२०२० धारा १३ जी०एक्ट सहा
- (३)मु०अ०सं० ३६०/२०२० धारा १३ जी०एक्ट सहा
- (४)मु०अ०सं० ३७/२०२१ धारा १३ जी०एक्ट सहा
- (५) मु०३१० सं० ४०७/२०१९ धारा १३ जी० एक्ट सहा
- (६) मु०३१० सं० १९९/२०१९ धारा १३ जी० एक्ट सहा
- (७) ३ यू०पी० गुण्डा एक्ट वर्ष २०२० में
- (8) 110 जी वर्ष 2020 में
- (9)मु0अ0सं0 321/21 धारा 8/20 NDPS Act

गिरपतार करने वाली टीम

- .13 श्री ०नि०विरेन्द्र राणा थाना को देहात सहारनपुर० .2का ०७९३ विषेश कुमार थाना को देहात सहारनपुर०
- ३.का० १७५९ सावन कुमार थाना को०देहात सहारनपुर

प्रैस नोट

आज दिनांक 15/07/2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के आदेशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना को0देहात जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे अपराध की रोकथाम हेतू टीम उनन्द किशोर 0नि0श्री उ 0नि0 राकेश कुमार 777 0रोबिन राठी व का 258 0शर्मा मय हमराह काथाना को0 देहात गठित की गयी। गठित टीम द्वारा अभि0 ऋषिपाल पुत्र हरिसिंह नि0 दाबकी जुनारदार थाना को0 देहात स0पुर को 150 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 322/21 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त के अभि0 ऋषिपाल पुत्र हरिसिंह नि0 दाबकी जुनारदार थाना को0 देहात स0पुर को मुखबिर की सूचना पर ग्राम देवला में सूमली तिराहे पर मैन सड़क पर से मय 150 ग्राम चरस के साथ दिनांक 15/07/2021 को समय करीब 10 50 बजे पकड़ लिया गया।

बरामदगी का विवरण निम्नवत हैं -:

अभि0 के पास से 150 ग्राम चरस बरामद हुआ अभि ऋषिपाल पुत्र हरिसिंह नि0 दाबकी जुनारदार थाना को0 देहात स0पुर का आपराधिक इतिहास निम्नवत हैं।

- (1)मू0अ0सं0 198/2020 धारा 8/15 NDPS Act
- (२)मु०अ०सं० ५८४/२०१८ धारा १३ जी०एक्ट सहा
- (3) मू0अ०२ां० ४०३/२०१२ धारा ६० EX Act
- (४) मु०अ०२ं० ४५३/२०१२ धारा ११० जी०
- (5) मु0अ0सं0 322/21 धारा 8/20 NDPS Act

गिरफ्तार करने वाली टीम

.13 श्री ०नि०नन्द्रिक्शोर शर्मा थाना को देहात सहारनपुर० .2का ०२५८ रोबिन राठी कुमार थाना को देहात सहारनपुर० 3.का० ७७७ राकेश कुमार थाना को०देहात सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 15-07-2021

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध देशी शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 14.07.2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा कस्बा सुल्तानपुर से अभि0 फिरोज पुत्र शाहिद निवासी मौहल्ला मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर को 20 पव्ये अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 230/21 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध तमंचा / कारतूस व नाजायज तलवार सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:—

दिनांक 14.07.2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा ग्राम नारायणपुर से अभि० अर्जुन पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम नारायणपुर थाना चिलकाना सहारनपुर को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व एक नाजायज तलवार सिहत गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 231/21, 232/21 धारा 4/25 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 14.07.2021 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा काशीराम तिराहा से अभि0 सोनी कुमार पुत्र रतनलाल निवासी मनोहरपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर को एक नाजायज चाकू सिहत गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु030सं0 317/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना को०नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा / कारतूस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 14.07.2021 को थाना को०नगर पुलिस द्वारा निकट राधा स्वामी आश्रम से अभि० गोविन्द शर्मा पुत्र लोकराम निवासी ब्रहमनगर थाना तारानगर जिला चुरू राजस्थान को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस सिहत गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना को०नगर पर मु०अ०सं० 151/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीड़िया / सोशल मीड़िया सेल सहारनपुर।